


30.5.2025

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व प्रार्थी/अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भली-भांति अवलोकन किये जाने पर प्रार्थी जसविन्द्र सिंह पुत्र सोहन सिंह को चक 4 एनकेआर खाता संख्या 6/64 में दर्ज भूमि में मंजूर शुद्धा रास्ते का अभाव होने के कारण अप्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि में से बिना कोई प्रतिफल के रास्ता स्वीकृत करने हेतु अपनी सहमति प्रदान की गई है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा-251 (A) एवं राजस्थान काश्तकारी (सरकारी नियम-1955 के नियम-68 से 70 के अन्तर्गत नया रास्ता कायम करने के संबंध में सहमति के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर चक 4 एनकेआर-ए प.न. 151/141 के मु.न. 36 के किला नम्बर 6/0.025 यानि 2 बिस्वा चौड़ा (165 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा) तथा किला नं. 15/0.025 यानि 2 बिस्वा चौड़ा (165 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा) पत्थर लाईन के साथ साथ दोनो किलो में 04 बिस्वा यानि 0.050 है. (330 फुट लम्बा एवं 16.5 फुट चौड़ा) रास्ता स्वीकृत किया जाकर तहसीलदार राजस्व संगरिया को निर्देशित किया जाता है कि उक्त मंजूरशुद्धा रास्ता का राजस्व रिकार्ड में बतौर गैर मुमकिन रास्ता के रूप में अंकन किया जावें। तहसीलदार संगरिया को पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फौसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.5.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

  
(जय कौशिक)  
उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

